



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052026-272642  
CG-DL-E-17052026-272642

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2424]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2026/वैशाख 24, 1948

No. 2424]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2026/VAISAKHA 24, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

का.आ. 2516 (अ).— केंद्रीय सरकार, उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 25 की उपधारा (1) के उपखंड (i) के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खान के भू-तल के नीचे के काम में नियोजित व्यक्तियों के लिए एक दिन में आठ घंटे से अनधिक की प्रत्येक शिफ्ट (पारी) अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एस-65025/7/2026-आईएसएच-II]  
आलोक चंद्र, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th May, 2026

**S.O. 2516(E).**— In exercise of the powers conferred by first proviso to sub-clause (i) of sub-section (1) of section 25 of the Occupational Safety Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), the Central Government hereby notifies not more than eight hours for each shift in a day for the persons employed in below ground working of the mine.

[F. No. S-65025/7/2026-ISH-II]

ALOK CHANDRA, Senior Labour And Employment Advisor